

सेवामें

सेवामें

श्रीमान् तहसीलदार साहब
दूनी।

388
2021

प्रशासन गांवों के संग कैम्प 2021

विषय:-ग्राम आकोडिया की जमाबंदी के खाता सं०.....०.....में नाम/पिता का नाम/जमति दुरुस्ती करने
बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा०ले०रे० एक्ट 1956 ।

peeder
8
11/10/21

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम आकोडिया की जमाबंदी संवत् 2077 के खाता सं०.....०.....में
मेरा नाम/पिता का नाम/जमति गलत रूप से सुवालाल दर्ज है। मेरा सही
नाम/पिता का नाम/जमति सुवाला है।

अतः सही नाम/पिता का नाम/जाति दुरुस्त कराने की कृपा करावें।

करीम
प्रार्थी

Items
2021/1154

रिपोर्ट पटवारी

महोदय

निवेदन है कि ग्राम आकोडिया की जमाबंदी संवत् 2077 के खाता सं०.....०.....पर प्रार्थी का
नाम/पिता का नाम/जाति सुवालाल दर्ज है। प्रार्थी ने शपथ पत्र एवं
संलग्न दस्तावेज प्रस्तुत कर अपना नाम/पिता का नाम/जाति सुवाला
करवाने का निवेदन किया है। हितबद्धधारी(प्रार्थी) की स्वीकारोक्ति एवं संलग्न दस्तावेज के अधार पर प्रार्थी का
नाम/पिता का नाम/जाति सुवाला दर्ज किया जाना सही प्रतीत होता है। अतः
प्रार्थी का नाम/पिता का नाम/जाति सुवाला दर्ज किये जाने की अभिशंषा
की जाती है।

हस्ताक्षर पटवारी

हस्ताक्षर मू०अ०नि०

कार्यालय तहसीलदार दूनी कैम्प.....

क्रमांक 50

दिनांक 11.10.21

रिपोर्ट पटवारी हल्का..... वृत्त..... एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं
संलग्न दस्तावेज के आधार पर ग्राम आकोडिया की जमाबंदी संवत् 2077 के खाता संख्या.....०.....में
प्रार्थी नाम/पिता का नाम/जमति सही रूप से सुवालाल दर्ज किये जाने
की अभिशंषा के साथ प्रकरण मूल ही श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय देवली की सेवामें सादर प्रेषित है।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, देवली
कैम्प/21

दिनांक:-

क्रमांक

तहसीलदार(मू०अ०)
दूनी
दूनी जिला-टोंक

Tdr Duni की अधीन ठहरे हुए ग्राम आकोडिया की जमाबंदी
संवत् 2073-74 के खाता संख्या 8 में दर्ज सुवालाल के स्थान पर
सुवाला सुवालाल नाम दर्ज करने हेतु प्रकरण मूल प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोंक)